न्यायालय राजस्व अपील प्राधिकारी कोटा

पीठासीन अधिकारी–मनोज कुमार(आर०ए०एस०)

अपील संख्या– 2022/178

1. कान्तिलाल आत्मज लक्ष्मीचन्द जाति मीना निवासी ग्राम डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा हाल निवासी मकान नम्बर–822, शास्त्री नगर, दादाबाडी, कोटा जिला कोटा(राज0)।
2. सुनीता पुत्री लक्ष्मीचन्द पत्नी सुरेश जाति मीना निवासी बिसलाई, तहसील दीगोद जिला कोटा(राज0)।
3. सुरेश बाई पुत्री लक्ष्मीचन्द पत्नी कुशराज जाति मीना निवासी ग्राम घघटाना, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।
4. रामकल्याण आत्मज गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति मीना निवासी ग्राम डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।

– अपीलांट

बनाम

1. अशोक आत्मज भैरूलाल जाति मीना निवासी ग्राम डाहरा, तहसील लाडपुरा, जिला कोटा(राज0)।
2. परमेश आत्मज गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति मीना निवासी मकान नम्बर 822, शास्त्री नगर, दादाबाडी, कोटा जिला कोटा(राज0)।
3. मन्जू बाई पुत्री गोपाल उर्फ रामगोपाल पत्नी सुरेश कुमार जाति मीना निवासी उदयपुरिया, तहसील दीगोद, जिला कोटा(राज0)।
4. सन्जु बाई पुत्री गोपाल उर्फ रामगोपाल जाति मीना पत्नी दोलतराम जाति मीना निवासी मुंगना, तहसील पीपल्दा जिला कोटा(राज0)।
5. राजस्थान राज्य जर्ये तहसीलदार लाडपुरा जिला कोटा(राज0)।

–रेस्पोडेन्टगण

उपस्थित वक्त बहस–(1). धीरेन्द्र मालव– अधिवक्ता अपीलांट
(2). बलराम शर्मा– अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4

निर्णय दिनांक 12.04.2023

1. अपीलांट द्वारा उक्त अपील अतंर्गत धारा 225 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय), कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 21/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 04.07.2022 के विरूद्ध प्रस्तुत की गई है।

2. प्रकरण के तथ्य संक्षिप्त मे इस प्रकार है कि प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 ने मूलवाद के साथ प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत इस आशय का प्रस्तुत किया गया कि ग्राम डाहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे 9 किता की रकबा 90 बीघा 16 बिस्वा भूमि ओंकार व जगन्नाथ बेटे मोती के नाम दर्ज थी। ओंकार की मृत्यु के बाद प्रार्थी रेस्पोडेन्ट संख्या 1 के दादा व प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण संख्या 2 से 4 के पिता गोपाल मुतवन्ना ओंकार नाबालिग जरिये वली जगन्नाथ के शामलाती खाते मे दर्ज चली आ रही थी। प्रथम सेटलमेन्ट के दौरान उक्त आराजी के 10 किता की 90 बीघा 19 बिस्वा कायम किये गये जो गोपाल पुत्र ओंकार व जगन्नाथ पुत्र मोती के नाम बांट बराबर दर्ज की गई। पूर्व खातेदारान द्वारा कुछ भूमियां विक्रय कर देने के बाद शेष रही भूमि मे द्वितिय सेटलमेन्ट उपरान्त नये खसरान नम्बर 227, 228, 229, 230, 235, 236/3, 291, 186, 188, 300 कुल किता 11 कुल रकबा 9.28 हैक्टेयर कायम किये गये। दौराने सेटलमेन्ट खसरा नम्बर 186, 188, 300 की 5.05 हैक्टेयर भूमि गोपाल आत्मज ओंकार के वारिसान प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी संख्या 4 के नाम अलग खाते मे दर्ज की गई। शेष खसरा नम्बर 227, 228, 229, 230, 231, 235, 236/3, 291 कुल किता 8 रकबा 4.23 हैक्टेयर भूमि जगन्नाथ के पुत्र लक्ष्मीचन्द के वारिसान प्रतिपक्षी संख्या 1 से 3 के नाम दर्ज कर दी जो गलत है, जबकि जगन्नाथ के हिस्से की भूमि उनके दोनो पुत्र लक्ष्मीचन्द व रामगोपाल के नाम दर्ज होनी चाहिये थी। इस कारण प्रतिपक्षी संख्या 1 से 3 का 1/2 हिस्सा तथा प्रार्थीगण व प्रतिपक्षी संख्या 4 उक्त 8 किता की 4.23 हैक्टेयर भूमि मे 1/2 हिस्से का खातेदार घोषित होने का अधिकारी है। अन्त मे प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व अपूरणीय क्षति स्वयं के पक्ष मे होना बताते हुए ताफैसला मूलवाद प्रार्थीगण के पक्ष मे अप्रार्थीगण के विरूद्ध इस आशय की अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने का निवेदन किया कि अप्रार्थीगण ग्राम डाहरा की आराजी संख्या 227, 228, 229, 230, 231, 235, 236/3, 291 कुल किता 8 कुल रकबा 4.23 हैक्टेयर अथवा उसके किसी भाग को खुर्द–बुर्द, बेचान, दान, वसीयत तथा अन्तरण नहीं करें तथा प्रार्थीगण को उनके हिस्से की भूमि के कब्जे काश्त मे व्यवधान पैदा नहीं करे।

3. उक्त आशय का प्रार्थना–पत्र अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दर्ज रजिस्टर किया जाकर अप्रार्थीगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। सम्मन नोटिस की पालना मे अप्रार्थीगण जरिये अधिवक्ता उपस्थित हुए। अप्रार्थीगण की ओर से जवाब प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया गया। उभय पक्षकारान की बहस सुनी जाकर दिनांक 04.07.2022 को प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के तहत निर्णय पारित किया।

4. अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय द्वारा पारित निर्णय 04.07.2022 से असंतुष्ट होकर अपीलांटगण अप्रार्थीगण संख्या 1 से 2 की ओर से प्रथम अपील न्यायालय हाजा प्रस्तुत की गई। अपील दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोडेन्टगण को जरिये सम्मन नोटिस तलब किया गया। रेस्पोडेन्ट संख्या 5 की ओर से पैरोकार सरकार उपस्थित हुए। अधीनस्थ

विद्वान विचारण न्यायालय का अभिलेख तलब किया जाकर शामिल पत्रावली किया गया व पत्रावली वास्ते बहस अंतिम नियत की गई।

5. अधिवक्ता अपीलांट ने अपनी बहस मे अपील मेमो मे अंकित तथ्यो को दोहराते हुए निवेदन किया कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय कानून के सर्वमान्य सिद्धान्तों के विपरीत है। रेस्पोडेन्टगण ने वादपत्र मे पेश किये गये सजरा मे स्वीकार किया है कि गोपाल उर्फ राम गोपाल, मोतीलाल के पुत्र ओंकार के गोद चला गया। रेस्पोडेन्ट वादी गोदपुत्र राम गोपाल के वारिस है। वादपत्र की मद संख्या 3 मे स्वयं रेस्पोडेन्टगण ने गोपाल पुत्र ओंकार व जगन्नाथ पुत्र मोतीलाल वर्णित किया है तथा मद संख्या 5 मे खसरा नम्बर 186, 188, 130 की रकबा 5.05 हैक्टेयर भूमि गोपाल आत्मज ओंकार के नाम दर्ज है तथा शेष 4.23 हैक्टेयर भूमि जगन्नाथ के नाम दर्ज है। इस स्वीकृति के बाद रेस्पोडेन्टगण का लक्ष्मीचन्द व उसके बाद अपीलांट के हिस्से मे किस आधार पर अधिकार हो सकता है? क्योंकि गोपाल तो ओंकार के गोद चला गया, इस प्रकार रेस्पोडेन्टगण का लक्ष्मीचन्द की भूमि मे लेश मात्र भी संबंध नहीं होने से रेस्पोडेन्टगण 4.23 हैक्टेयर भूमि के संबंध मे किसी प्रकार की सहायता प्राप्त करने के अधिकारी नहीं है। रेस्पोडेन्टगण ने वाद व प्रार्थना–पत्र मे वर्णित नहीं किया कि वो विवादित भूमि मे किस खसरा नम्बर की भूमि पर काबिज है। यदि प्रार्थी स्वच्छ हस्त से आते तो मोतीलाल की संपूर्ण विवादित लगभग 90 बीघा भूमि के आधार पर वाद प्रस्तुत करते। प्रार्थी ने केवल जगन्नाथ की भूमि के संबंध मे वाद एवं प्रार्थना–पत्र प्रस्तुत किया है जबकि रामगोपाल को ओंकारलाल के गोद जाने से जो भूमि पैतृक भूमि मे से प्राप्त हुई है, उसका उन्होने कोई विवाद नहीं माना है। क्या वह भूमि पैतृक भूमि नहीं थी? वादी स्वच्छ हाथों से न्यायालय मे नहीं आए है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण स्वयं मानते है कि उनके पिता व दादा रामगोपाल उनके पिता जगन्नाथ के जीवनकाल मे ही ओंकार के गोद चले गए थे। अतः विवादित भूमि मे गोद जाने से पहले कभी राजस्व रिकॉर्ड मे प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के पिता व दादा रामगोपाल का नाम भी नहीं आया। अतः गोद जाने पर उसके अधिकार जगन्नाथ के हिस्से की भूमि से डाइवेस्ट हो गए थे। जगन्नाथ के जीवनकाल मे ही रामगोपाल ओंकारलाल के गोद चला गया था। अधिवक्ता अपीलांट ने इस संबंध मे **MULLA HINDU LAW** पुस्तक के पेज संख्या 697 व 698 पर अंकित प्रावधानों व उसमे अंकित न्यायिक दृष्टांतो का कथन करते हुए पठन किया। इन न्यायिक दृष्टांतो के आधार पर अधिवक्ता अपीलांट का कथन रहा है कि चूंकि रामगोपाल ओंकार के गोद चले गए तथा जगन्नाथ उस समय जीवित थे तथा रामगोपाल के पक्ष मे केवल ओंकारलाल के हिस्से की भूमि का राजस्व रिकॉर्ड मे नामान्तरकरण खुला है। अतः रामगोपाल का जगन्नाथ की भूमि मे कोई हक–अधिकार नहीं रहा। एकतरफ तो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट जगन्नाथ की भूमि पर पैतृक भूमि होने से अधिकार की मांग कर रहे है, जबकि स्वयं प्रार्थी को पैतृक रूप मे प्राप्त हुई भूमि पर उनका कोई कथन एवं मंतव्य नहीं है। अतः संपूर्ण तथ्यों से स्पष्ट है कि प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को अपीलांट की भूमि पर किसी प्रकार की अस्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकार नहीं है। इस पर भी कब्जे के संबंध मे आदेश देने मे अधीनस्थ न्यायालय ने भूल की है, जो निरस्तनीय है। अधीनस्थ

न्यायालय द्वारा पारित निर्णय धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 के प्रावधानों के विपरीत है। स्वयं अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय विरोधाभास से ग्रसित है, तथा निर्णय मे दिया गया आदेश प्रार्थना–पत्र की याचना से भिन्न है। अन्त मे अपील अपी.स्टांट स्वीकार की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का आदेश दिनांक 04.07.2022 निरस्त किये जाने का निवेदन किया।

6. अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट संख्या 1 से 4 ने अपनी बहस मे निवेदन किया कि विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की पैतृक सम्पत्ति है। विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्टग के पिता व दादा रामगोपाल के पिता जगन्नाथ के नाम दर्ज थी। जगन्नाथ के दो पुत्र लक्ष्मीचन्द व रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 के पिता व दादा रामगोपाल थे। लक्ष्मीचन्द का स्वर्गवास हो चुका है। लक्ष्मीचन्द के वारिस अपीलांटगण संख्या 1 से 3 है। जगन्नाथ की आराजीयात मे लक्ष्मीचन्द व रामगोपाल का बराबर–बराबर हक व हिस्सा निहित है। परन्तु भू–प्रबन्ध मे पश्चात जगन्नाथ के खाते की आराजीयात मे उसकी मृत्यु के पश्चात लक्ष्मीचन्द व रामगोपाल का नाम बराबर हक हिस्से अनुसार दर्ज होना चाहिए था परन्तु उपरोक्त आराजीयात जगन्नाथ की मृत्यु के पश्चात रामगोपाल के नाम दर्ज नहीं होकर केवल लक्ष्मीचन्द के खातेदारी मे दर्ज हो गई। वर्तमान मे लक्ष्मीचन्द की मृत्यु होने से सम्पूर्ण विवादित आराजीयात उसके वारिसान अपीलांटगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। विवादित आराजीयात रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 की पैतृक सम्पत्ति होने से उक्त आराजीयात मे रेस्पोडेन्टगण संख्या 1 से 4 का जन्म से ही हक हिस्सा निहित है। विवादित आराजीयात की घोषणा का अनुतोष चाहा है, परन्तु वर्तमान मे विवादित आराजीयात अपीलांटगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है। वाद के विचाराधीन रहते हुए यदि अपीलांटगण विवादित आराजीयात को दीगर को किसी भी तरीके से हस्तांतरित कर देंगे तो रेस्पोडेन्टगण को अपूरणीय क्षति होने की संभावना है। साथ ही अपीलांटगण का वाद प्रस्तुत करना व्यर्थ हो जायेगा। अधीनस्थ न्यायालय ने विवादित आराजीयात को वादपत्र के निस्तारण तक खुर्द–बुर्द होने से रोकने के लिये अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित होना विधि सम्मत मानते हुए निर्णय पारित किया है। गोदपुत्र जाने से किसी के हक अधिकार समाप्त नहीं होते। बच्चे के जन्म के साथ ही पैतृक सम्पत्ति मे उसके अधिकार उत्पन्न हो जाते है। अतः प्रार्थी रेस्पोडेन्ट को जन्म से ही पैतृक सम्पत्ति के हक अधिकार है। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय विधि सम्मत होने से अपीलांटगण की ओर से प्रस्तुत अपील खारिज किये जाने योग्य है। अपनी बहस के समर्थन मे अधिवक्ता रेस्पोडेन्ट की ओर से न्यायिक दृष्टांत आर.एल.डब्ल्यु. 2015 आ.एच.सी. पेज 450, डब्ल्यु. एल.एन. 2014 एच.सी. पेज 429 डी.एन.जे. 1995 एच.सी. पेज 691 प्रस्तुत किया। अन्त मे अपील अपीलांट खारिज किये जाने की प्रार्थना की।

7. हमने उभय पक्षकारान के अधिवक्ताओं की बहस पर विधिपूर्ण मनन किया। न्यायालय हाजा व अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली मे संलग्न दस्तावेजों का गहनता से अवलोकन किया। अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निर्णय मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने हेतु आवश्यक तीनो बिन्दुओं–प्रथम दृष्ट्या मामला, सुविधा का संतुलन व

अपूरणीय क्षति का विस्तृत विवेचन किया जाकर निर्णय पारित किया है। परन्तु अधीनस्थ न्यायालय ने उपरोक्त तीनो बिन्दुओ पर जो निष्कर्ष दिया है तथा अन्त मे जो कार्यात्मक आदेश दिया है , उसमे स्पष्ट विरोधाभाष प्रतीत होता है। अधीनस्थ न्यायालय ने अपने निर्णय मे प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं होने का कथन है तथा सुविधा का संतुलन केवल प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं होकर प्रत्येक सहखातेदार के पक्ष मे होने का कथन किया है। साथ ही अपूरणीय क्षति किसी एक पक्षकार को नहीं होकर सभी पक्षकारान को होना मानकर अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं होने का कथन किया है। इस प्रकार अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के लिये आवश्यक उपरोक्त तीनो बिन्दुओं पर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा पारित निष्कर्ष प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं पाये जाने के बावजूद भी अधीनस्थ न्यायालय ने ताफैसला वाद सभी पक्षकारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किये जाने का निर्णय पारित किया है, जो विरोधाभाषी प्रतीत होता है। प्रार्थीगण की ओर से प्रस्तुत प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 मे प्रार्थीगण ने अपने पिता व दादा गोपाल उर्फ रामगोपाल को ओंकार का गोदीपुत्र होने का कथन किया है। साथ ही रामगोपाल को जगन्नाथ का जायन्दा पुत्र होने का कथन करते हुए जगन्नाथ के खाते की आराजीयात मे प्रार्थीगण का हक निहित होने का कथन किया है। हमारे विनम्र मत में प्रार्थीगण के पिता का ओंकार के गोद जाना स्वीकृत तथ्य है तथा गोद भी जगन्नाथ के जीवित रहते हुए गया है। यहां यह महत्वपूर्ण है कि जो आराजी रामगोपाल को औंकारलाल से प्राप्त हुई उसे लेकर प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण ने कोई आक्षेप नहीं किया है। यानि स्वयं को पैतृक भूमि मे से प्राप्त भूमि को वे पैतृक भूमि मानते है अथवा नहीं? यह स्पष्ट किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जो जाने के संबंध मे आवश्यक अग्रलिखित तीनो बिन्दुओं का विवेचन किया जाना आवश्यक है–1. प्रथम दृष्ट्या मामला– प्रथम दृष्ट्या मामला से तात्पर्य उस मामले से है जिसके समर्थन मे दी गई साक्ष्य पर विश्वास किसा जा सके तथा ऐसा मामला जिसे विरोधी पक्ष ध्वस्त नहीं कर सके, तो ऐसे प्रकरण को प्रथम दृष्ट्या मामला कहा जायेगा। प्रार्थी ने अपने प्रार्थना–पत्र के मद संख्या 3 मे स्वयं कथन किया है कि " ग्राम डाहरा तहसील लाडपुरा जिला कोटा मे 9 किता की 90 बीघा 16 बिस्वा भूमि ओकार व जगन्नाथ बेटे मोती के नाम दर्ज थी, ओंकार की मृत्यु के बाद प्रार्थी संख्या 1 के दादा व प्रार्थी संख्या 2 से 4 के पिता गोपाल मुतवन्ना ओंकार नाबालिग जर्ये वली जगन्नाथ के शामलाती खाते मे दर्ज चली आ रही थी। नकल जमाबंदी सम्वत 2003 से 2006 एवं सम्वत 2007 से 2010 पेश है।" इस प्रकार सम्वत 2003 से 2006 एवं सम्वत 2007 से भूमि गोपाल के खाते मे आ गई थी। प्रार्थना–पत्र के मद संख्या 4 का हवाला देकर गोपाल पुत्र ओंकार व जगन्नाथ पुत्र मोती के नाम भूमि बराबर बांट उनके नाम दर्ज होने का कथन किया है। इससे यह स्पष्ट है कि प्रार्थीगण व अप्रार्थीगण बहुत समय पूर्व से इसी प्रकार राजस्व रिकॉर्ड मे दर्ज चले आ रहे थे। हम अधिवक्ता अपीलांट के इस कथन से सहमत है कि एकतरफ तो प्रार्थी रेस्पोडेन्ट मोतीलाल व उनके पुत्रों की पैतृक सम्पत्ति के आधार पर विवाद कर रहे है, जबकि वे केवल जगन्नाथ के हिस्से की भूमि मे अधिकार मांग रहे है तथा ओंकारलाल का हिस्सा

जो उन्हे प्राप्त हुआ, उस भूमि को पैतृक भूमि मे विवादित नहीं मान रहे है। प्रार्थीगण ने अपने प्रार्थना–पत्र मे विवादित आराजीयात पर स्वयं का कब्जा काश्त होने के संबंध मे कोई स्पष्ट कथन कर साक्ष्य प्रस्तुत नहीं किया है। जिससे विवादित आराजीयात पर प्रार्थीगण का कब्जा काश्त होना प्रथम दृष्ट्या प्रमाणित हो। अपीलांट पूर्वजों के समय से विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है। इसी प्रकार प्रार्थी रेस्पोडेन्ट भी वर्षो से खसरा नम्बर 186, 188 व 300 के अभिलिखित खातेदार दर्ज रिकॉर्ड है। अतः वर्षो से राजस्व रिकॉर्ड मे अभिलिखित खातेदारों को पार्बद किया जाना उचित नहीं है। लक्ष्मीचन्द व रामगोपाल के अपने जीवनकाल मे इस पर कोई आपत्ति की हो, ऐसा कोई दस्तावेज या कथन भी हमारे समक्ष प्रस्तुत नहीं किया गया। सभी पक्षकारान को यथास्थिति बनाए रखने का अनुतोष न तो प्रार्थीगण न ही अप्रार्थीगण ने मांगा है। जब पक्षकारान वर्षो से अपनी भूमि के अभिलिखित खातेदार है तथा कब्जा काश्त कर रहे है तो उन्हे पार्बद किया जाना उचित नहीं है। जहां तक वर्षो पूर्व रामगोपाल का ओंकार के गोद जाने का प्रश्न है तथा गोद जाने के फलस्वरूप उसे प्राप्त पैतृक भूमि मे से हिस्से का प्रश्न है, यह विस्तृत साक्ष्य व विवेचन के पश्चात मूलवाद मे तय होगा। यहाँ यह महत्वपूर्ण तथ्य है कि रामगोपाल जगन्नाथ के जीवनकाल मे गोद जाने के कारण उसका राजस्व रिकॉर्ड मे नाम ओंकारलाल के हिस्से की भूमि मे दर्ज हुआ। अधिवक्ता अपीलांट द्वारा प्रस्तुत न्यायिक दृष्टांत के तथ्य व परिस्थिति अलग–अलग होने से इस प्रकरण पर चस्पा नहीं होते है। इस प्रकार प्रथम दृष्ट्या प्रकरण प्रार्थीगण के पक्ष मे साबित नहीं होता है। विवादित आराजीयात पर कब्जे काश्त के संबंध मे कोई ठोस दस्तावेज/साक्ष्य प्रार्थीगण द्वारा प्रस्तुत नहीं किया गया है। अप्रार्थीगण अपीलांटगण विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी प्रथम दृष्ट्या प्रकरण केवल प्रार्थी के पक्ष मे नहीं माना है। अतः प्रथम दृष्ट्या मामला प्रार्थीगण के पक्ष मे प्रतीत नहीं होता है।

2. सुविधा का संतुलन– सुविधा का संतुलन से तात्पर्य है कि यदि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने की स्थिति मे प्रकरण के विचाराधीन रहने के दौरान किसी भी पक्ष को होने वाली संभावित हानी को प्रतिकर देकर पूरा किया जा सकता है अथवा नहीं । किसी एक के पक्ष मे अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने पर दूसरे पक्ष को तुलनात्मक रूप से हानी होने की संभावना को सुविधा के संतुलन से विनिश्चित किया जाना आवश्यक है। हस्तगत प्रकरण मे विवादित आराजीयात अपीलांटगण अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड है तथा अपीलांटगण ने अपने प्रार्थना पत्र मे स्वयं को विवादित आराजीयात पर काबिज काश्त होने का कथन किया है, जिसके खण्डन मे रेस्पोडेन्टगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। इस प्रकार अपीलांटगण विवादित आराजीयात के अभिलिखित खातेदार है। ऐसी स्थिति मे सुविधा का संतुलन तुलनात्मक रूप से अपीलांटगण अप्रार्थीगण के पक्ष मे होना प्रमाणित है।

3.अपूरणीय क्षति– चूंकि अपीलांटगण विवादित आराजीयात के अभिलिखित खातेदार है। तथा अपीलांटगण ने विवादित आराजीयात पर स्वयं का कब्जा होने का कथन किया है, जिसके खण्डन मे रेस्पोडेन्टगण द्वारा कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किया है। अधीनस्थ न्यायालय ने भी अपने विवेचन मे अपूरणीय क्षति का बिन्दु प्रार्थीगण के पक्ष मे नहीं होना पाया है। हम अधीनस्थ न्यायालय के इस अभिमत से सहमत है कि पक्षकारान मीणा

जनजाति के होने से मूलवाद मे सभी हक–अधिकार तय होंगे। जहाँ तक अभी प्रार्थना–पत्र अन्तर्गत धारा 212 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम 1955 पर निर्णय का प्रश्न है, यह स्पष्ट है कि अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किये जाने के तीन मूल आधार घटक प्रथम–दृष्ट्या प्रकरण, सुविधा का संतुलन तथा अपूरणीय क्षति प्रार्थीगण रेस्पोडेन्टगण के पक्ष मे नहीं है। अतः अपीलांट अप्रार्थीगण जो लम्बी अवधि से वादग्रस्त आराजीयात के अभिलिखित खातेदार है, उन्हे अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है । रिकॉर्ड से स्पष्ट प्रतीत होता है कि वर्षो से दोने पक्षो की भूमि रिकॉर्ड मे अलग–अलग दर्ज हो चुकी है, तथा अनुसूचित जनजाति मे गोद जाने व गोदपुत्र के अधिकार आदि विस्तृत विवेचन के पश्चात मूलवाद मे तय होंगे। उपर्युक्त तीनो बिन्दुओं पर विवेचन से स्पष्ट है कि प्रार्थीगण अपीलांट के विरूद्ध अस्थाई निषेधाज्ञा जारी किया जाना उचित नहीं है। परन्तु आदेश के अंत मे विद्वान अधीनस्थ न्यायालय ने समस्त पक्षकारान को यथास्थिति कायम रखने का आदेश जारी किया गया है तथा समस्त पक्षकारान को पाबंद किया गया है, जबकि इस प्रकार का अनुतोष न तो प्रार्थीगण ने तथा न ही अप्रार्थीगण ने चाहा है। अधीनस्थ न्यायालय ने प्रार्थीगण द्वारा वांछित अनुतोष से परे जाकर निर्णय पारित किया गया है। प्रार्थीगण रेस्पोडेन्ट केवल अप्रार्थीगण के नाम दर्ज रिकॉर्ड भूमि को ही विवादित मानते है, जबकि स्वयं को पैतृक भूमि से प्राप्त भूमि को वे स्वयं की भूमि मानते है। हमारे विनम्र मत मे अस्थाई निषेधाज्ञा का प्रश्न प्रथम दृष्ट्या राजस्व रिकॉर्ड व कब्जा काश्त के आधार पर तय होता है। ऊपर किये गये विवेचन से स्पष्ट है कि उभयपक्ष मे से किसी ने समस्त पक्षकारान को पाबंद करने का अनुतोष नहीं मांगा है। उभयपक्ष वर्षो से विवादित भूमि के अभिलिखित खातेदार दर्ज होकर काश्त कर रहे है, तथा प्रस्तुत प्रकरण मे अभिलिखित खातेदारान को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अतः हमारे विनम्र मत में उभयपक्षों को अस्थाई निषेधाज्ञा से पाबंद किया जाना उचित नहीं है। अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 04.07.2022 त्रुटिपूर्ण होने के कारण निरस्त किये जाने योग्य है।

8. उपर्युक्त विवेचन के आधार पर अपील अपीलांटगण स्वीकार की जाती है। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय सहायक कलक्टर(मुख्यालय) कोटा जिला कोटा के प्रकरण संख्या 21/2022 मे पारित निर्णय दिनांक 04.07.2022 निरस्त किया जाता है।

9. पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम हो। अधीनस्थ विद्वान विचारण न्यायालय की पत्रावली निर्णय की सत्यप्रति के साथ अविलम्ब लौटाई जावे।

10. निर्णय आज दिनांक 12.04.2023 को खुले न्यायालय मे सुनाया गया।

(मनोज कुमार)
राजस्व अपील प्राधिकारी, कोटा